सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

8 ज्येष्ठ, 1940 (श०)

संख्या- 541 राँची, मंगलवार 29 मई, 2018 (ई०)

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

संकल्प

18 अप्रैल, 2018

विषय:- विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1532, दिनांक 16 मई, 2011 एवं विभागीय संकल्प ज्ञापांक 491, दिनांक 11 फरवरी, 2016 में विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं के अन्तर्गत सामग्रियों के परिवहन इत्यादि हेतु झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को प्रदेय प्रति क्विंटल रूपये 75/- की राशि के संबंध में "कमीशन" शब्द को "संचलन अनुदान" शब्द में प्रतिस्थापित करने के संबंध में ।

संख्या - खा.प्र. 01/रा.खा.नि./24-2/2011-1210,-- झारखण्ड राज्य में संकल्प ज्ञापांक 1004, दिनांक 6 जून, 2009 द्वारा झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड का गठन किया गया है, तथा यह निगम दिनांक 1 फरवरी, 2011 से क्रियाशील है । राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम माह अक्टूबर 2015 से लागू है। इस अधिनियम के सफल क्रियान्वयन हेतु खाद्यान्न एवं अन्य सामग्रियों का उठाव एवं वितरण राज्य खाद्य निगम के माध्यम से नियमित रूप से कराया जाता है ।

2. झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को अपने कार्य के संचालन एवं निर्वहन हेतु स्थापना व्यय, परिवहन, हथालन, भण्डारण एवं अन्य प्रशासनिक व्यय का वहन करना पड़ता है । इस हेतु राज्य सरकार के द्वारा पूर्व में रूपये 55/- प्रति क्विंटल दिया जाता था, जिसे वर्ष 2016 में बढ़ाकर रूपये 75/- प्रति क्विंटल कर दिया गया था, परन्तु इस राशि को ''कमीशन'' का नाम दिया गया था । यद्यपि यह राशि कमीशन न हो कर परिवहन व्यय, हथालन व्यय, गोदाम किराया, प्रशासनिक व्यय एवं अन्य मदों के लिए दी जाने वाली राशि है ।

3. इस परिपेक्ष्य में यह आवश्यक है कि पूर्व में निर्गत सभी संकल्पों यथा संकल्प ज्ञापांक 1532, दिनांक 16 मई, 2011 एवं संकल्प ज्ञापांक 491, दिनांक 11 फरवरी, 2016 में अंकित शब्द "कमीशन" को प्रतिस्थापित करते हुए "संचलन अनुदान" शब्द कर दिया जाय । इसका मुख्य कारण यह है कि जो राशि निगम को कमीशन कह कर दी जाती है उसका व्यय निगम द्वारा स्थापना मद, परिवहन, हथालन, भण्डारण एवं अन्य प्रशासनिक व्यय के लिए किया जाता है ।

4. झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची से संबंधित उक्त विषय के संबंध में पूर्व में सभी निर्गत विभागीय संकल्प में भी अंकित "कमीशन" शब्द को "संचलन अनुदान" शब्द से प्रतिस्थापित किया जाता है ।

5. उक्त के संलेख पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक 10 अप्रैल, 2018 की बैठक की मद संख्या-01 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

डा॰ अमिताभ कौशल,
सरकार के सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 541 -- 100